न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार करवा R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 46/2019 दायर तारीख :– 21.06.2019

1- सोनी पत्नि रामचन्द्र
2- सजना पुत्री रामचन्द्र
3- फूलचन्द पुत्र रामचन्द्र
समस्त जाति जाट नि0 सुन्दरियावास (ढाणी चन्दवाडिया) तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—: *प्रार्थीगण*

बनाम

1. जगदीश पुत्र लाला
2. तुलसीराम पुत्र लाला
3. कजोड़ पुत्र लाला
4. रामेश्वर पुत्र लाला

समस्तजाति जाट नि0 सुन्दरियावास (ढाणी चन्दवाडिया) तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

— *अप्रार्थीगण*

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (1)

उपस्थित :– श्री हनुमान जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री जगवीर सेंवदा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 06-11-2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि प्रार्थी/आवेदकगण की भूमि खं0नं0 99 रकबा 10 बीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम सुन्दरियावास प0ह0 कुड़ियों का बास भू0अ0नि0क्षे0 हिंगोनिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है प्रार्थी की उक्त आराजीयात के लगवा खं0नं 98 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा भूमि है जिसके लगवा प्रार्थी–आवेदकगण की आराजी खं0नं0 97 रकबा 7 बीघा 6 वि[illegible] जिसमें प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण–आवेदकगण अपनी आराजी [illegible] खं0नं0 99 में आने जाने हेतु हमेशा से अप्रार्थीगण की [illegible] 98 के पूर्वी सींव से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

अपनी आराजी [illegible] में आने जाने [illegible] है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को अपने [illegible] की आराजी खं0नं0 99 में आने जाने के लिए नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण अपनी आराजी खं0नं0 97 से व अपने बने मकानात से अपने [illegible] की आराजी खं0नं0 99 में आने जाने हेतु खं0नं0 98 की पूर्वी सीमा [illegible] के [illegible] ए से बी 12 फुट रास्ता लेना चाहते है। रकबा 12 फुट रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात खं0नं0 [illegible] में सुगमतापूर्वक आ जा सके एवं अपनी आराजीयात का खाली समय में उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थीगण उक्त 12 फुट रास्ते के लिए धारा 251 ए भू0रा0अ0 के अनुसार भूमि के बदले भूमि या रकबा [illegible] के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश दिनांक 04.09.19 की प्रमाणित प्रति आदि पेश किये।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 की ओर से वकील श्री जगवीर सैंवदा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 ने जवाब प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि आवेदक की आराजीयात में आने जाने हेतु खं0नं0 99 के पूर्वी सीमा पर खं0नं0 101 है जिसमें आवेदिका के सगे ससुर पन्ना पुत्र लाखा की व दादेर ससुर धन्ना पुत्र लाखा की खातेदारी की आराजी है जिसमें से आसीन से आवागमन हो सकता है। खं0नं0 98 की पूर्वी सीमा में दक्षिण से उत्तर मार्क ए बी नवीन रास्ता कायम करने का आवदेकगण ने किस आधारों पर प्रा0पत्र पेश किया है स्पष्ट नहीं है खं0नं0 98 में से आने जाने के लिए चारों दिशाओं से कही से भी रास्ता राजस्व नक्शें या मौके पर रिकोर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है न ऐसा कोई रास्ता मौके पर मौजूद है। खं0नं0 98 में जो रास्ता मार्क ए से बी चाहा गया है उसके उत्तर में खं0नं0 100/1, 100/2 व पूर्व में खं0नं0 101 व दक्षिण में खं0नं0 97, 87, 88, 88/1 है जैसाकि प्रा0पत्र के संलग्न नक्शें से जाहिर है उसमें ऐसा कोई रास्ता दर्शित नहीं है जो मार्क ए से बी आता हो ओर खं0नं0 97, 99 के मध्य मार्क ए बी रास्ता नवीन कायम करना आवश्यक हो। खं0नं0 100 के उत्तर दिशा में कुड़ियो का बास से रास्ता आता है जो उक्त खं0नं0 99 के नजदीक पड़ता है प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु नजदीकी रास्ता वैकल्पिक तौर पर खं0नं0 100/1 से है। प्रार्थीया आराजी खं0नं0 88, 90, 96, 97 में भी सहखातेदार है [illegible] दावा लेकर आये है एवं खं0नं0 101 में उसके [illegible] ऐसी स्थिति में उपरोक्त नम्बरान में रास्ते का [illegible] बी रास्ता की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। आवेकगण ने महज आ[illegible]गण को हैरान परेशान करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

उसकी खातेदारी की आराजी में से जबरन रास्ता लेने, गरज से मौके की स्थिति के विपरित तथ्य जाहिर कर यह आवेदन किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार कि. रेनवाल ने अपनी फर्द मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2019/3265 दिनांक 08.07.19 पेश की जिसमें अंकित किया कि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के लिए कोई अन्य निकटतम इस रास्ते के अलावा नहीं है। प्रार्थीगण के लिये रास्ते की आवश्यकता है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि में से एक खातेदारी तुलसीराम पुत्र लालाराम हि0 1/4 राहिन आई0डी0बी0आई बैंक स्थगन एफ–29 गौतम मार्ग वैशाली नगर जयपुर के रहन दर्ज है शेष 3/4 हिस्सा बिना रहन है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि पर दीगर न्यायालय का स्थगन नहीं है ग्राम सुन्दरियावास के सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 3,07,262 प्रति बीघा है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि की लम्बाई 227 फुट, चौड़ाई 12 फुट है कुल क्षेत्रफल 2724 वर्गफुट बनता है जो 2 बिस्वा भूमि बनती है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 ने आपति प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि मान्य न्यायालय के आदेश क्रंमाक राजस्व/2227 दिनांक 21.06.19 की पालना में तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा दिनांक 08.07.19 की रिपोर्ट जो दिनांक 11.07.19 को प्रस्तुत की है जिसमें हल्का पटवारी व गिरदावर ने गलत तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कतई गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय व मौका देखा उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार से सूचना नहीं दी ओर ना ही मौके पर बुलाया। रिपोर्ट में अप्रार्थी कजोड़ व लाला के पुत्र नानूराम उपस्थित होने का तथ्य जाहिर किया है जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करते समय वह मौके पर उपस्थित ही नहीं था। अप्रार्थीगण की भूमि खां0नं0 98 में आने जाने का रास्ता नहीं है तथा ना ही रिकोर्डेड रास्ता नक्शें में वर्णित हैं प्रार्थीगण के हिस्सें की भूमि खं0नं0 99 के लगवा खं0नं0 101 प्रार्थीया के ससुर पन्नाराम, धन्नाराम की खातेदारी भूमि है जो इनके सबसे निकट का है। प्रार्थीगण खं0न0 101 से आवागमन करते है जो इनके ससुरा की खातेदारी की आराजी है जो इनकी पैतृक भूमि है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व खातेदार अप्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गयी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट में जिस तरह नजरी नक्शा बनवाया जो बिल्कुल गलत है मान्य नहीं [illegible] नजरी नक्शा में जो रास्ता दर्शाया गया है [illegible] नक्शें [illegible] कही भी इन्द्राज नहीं है अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण की खातेदारी की [illegible] रिकोर्डेड रास्ता नहीं है तथा चारों तरफ से कही से भी [illegible]ता नहीं आ रहा है। जब खातेदार संयुक्त खातेदार हो तब तकासमा का दावा कर रास्ता कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible]कारी
[illegible] बैंक

Scanned by CamScanner

करवाया जा सकता है ऐसी स्थिति उक्त प्रकरण में है। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के आपति प्रा0पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की है वह सही है वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट पेश की है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण को सूचना दी गयी परन्तु जानबुझकर मौके पर नहीं आये मौके पर बुलाया गया था सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दी गयी थी। अप्रार्थीगण मौके पर मौजूद थे परन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया रिपोर्ट उनके समक्ष तैयार की गयी थी। अप्रार्थीगण की भूमि से ही आने जाने का रास्ता है प्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ते से ही आना जाना वर्षो से चालू है। जिसे नक्शे में दर्ज कराना आवश्यक है। अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गयी इसलिए प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने हेतु यह आपति पेश की है जो गलत है। ख0नं0 101 से किसी प्रकार का रास्ता नहीं है निकटतम रास्ता आवेदन पत्र के अनुसार सही है। ख0नं0 101 से प्रार्थीगण का कभी आना जाना नहीं रहा है यह पैतृक भूमि नहीं है। मौका रिपोर्ट में जो रास्ता बताया गया है वह सही है जहा से प्रार्थीगण का आना जाना रहा है वहा पर ही हल्का पटवारी द्वारा रास्ता दर्शाया गया है जिसका राजस्व नक्शे में अंकन कराया जाना प्रस्तावित है जो विधि संगत है। प्रार्थीगण के आवेदन में मांगा गया रास्ता मौके पर है उसे ही धारा 251 ए के तहत राजस्व नक्शे में अंकित कराया जाना आवश्यक है जो अप्रार्थीगण के लिए फायदेबन्द है। रास्ता कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए ले सकता था कानूनी अधिकार है प्रार्थी को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है। उक्त आपति प्रा0पत्र पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया है तथा प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता निकटतम होना बताया है पटवारी हल्का ने खातेदारों को घर जाकर सूचना देना अंकित किया है खातेदार कजोड़ मौके पर उपस्थित हुआ है। नानूराम भी मौजूद था परन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीया तथा अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गये। इससे जाहिर है कि वस्तुस्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई पुनः रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता नहीं है अतः अप्रार्थीगण का आपति प्रा0पत्र सारहीन होने से खारिज किया गया। राजस्व बोर्ड अजमेर में भी अप्रार्थीगण ने अपील पेश की जो दिनांक 04.09.2019 को खारिज हो चुकी है वकील अप्रार्थीगण ने रामेश्वर, तुलसी[illegible]देव, लक्ष्मण के शपथप[illegible] पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया [illegible] अप्रार्थीगण ने मौ[illegible] रिपोर्ट दिनांक 08.07.19 के सम्बन्ध में आपति प्रा0पत्र पेश किया [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। उक्त आपति प्रा0पत्र पर दोनों पक्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गयी। दिनांक 21.10.19 को अप्रार्थीगण का आपत्ति प्राoपत्र दिनांक [illegible] का जवाब पेश किया गया। [illegible] का कोई ठोस आधार न [illegible] करने से [illegible] रहने के कारण अप्रार्थीगण का आपत्ति प्राoपत्र खारिज किया गया।

4\. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्राoपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/आवेदकगण की भूमि खं0नं0 99 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा [illegible] पo ह0 कुडियों का बास [illegible] जिला जयपुर राज0 में स्थित है प्रार्थी की उक्त आराजीयात के [illegible] 98 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि है जिसकी [illegible] वादी आवेदकगण की आराजी खं0नं0 97 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण-आवेदकगण अपनी आराजी खं0नं0 97 में से खं0नं0 99 में आने जाने हेतु हमेशा से अप्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 98 के पूर्वी सींव से होकर अपनी आराजी खं0नं0 99 में आते जाते रहे है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी खं0नं0 99 में आने जाने के लिए नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अपनी आराजी खं0नं0 97 से व अपने बने मकानात से अपने हिस्सें की आराजी खं0नं0 99 में आने जाने हेतु खं0नं0 98 की पूर्वी सींव मेड़ के सहारे सहारे ए से बी 12 फुट रास्ता लेना चाहते है। उक्त 12 फुट रास्तें की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात खं0नं0 99 में सुगमतापूर्वक आ जा सके एवं अपनी आराजीयात का सही रूप से उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थीगण उक्त 12 फुट रास्तें के लिए धारा 251 ए रा0टी0ऐ0 के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है। वकील अप्रार्थी ने अपनी कथन में कथन किया कि आवेदक की आराजीयात में आने जाने हेतु खं0नं0 99 के पूर्वी सीमा पर खं0नं0 101 है जिसमें आवेदिका के सगे ससुर पन्ना पुत्र लाखा की व दादेर ससुर धन्ना पुत्र लाखा की खातेदारी की आराजी है जिसमें से आसीन से आवागमन हो सकता है। खं0नं0 98 की पूर्वी सीमा में दक्षिण से उत्तर मार्क ए बी नवीन रास्ता कायम करने का आवदेकगण ने किस आधारों पर प्रा0पत्र पेश किया है स्पष्ट नहीं है खं0नं0 98 में से आने जाने के लिए चारों दिशाओं से कही से भी रास्ता राजस्व नक्शें या मौके पर रिकोर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है न ऐसा कोई रास्ता मौके पर मौजूद है। खं0नं0 98 में जो रास्ता मार्क ए से बी चाहा गया है उसके उत्तर में खं0नं0 100/1, 100/2 व पूर्व में खं0नं0 101 व दक्षिण में खं0नं0 97, 87, 88, 88/1 है जैसाकि प्रा0पत्र के संलग्न नक्शें से जाहिर है उसमें ऐसा कोई रास्ता दर्शित नहीं है जो मार्क ए से बी आता हो ओर खं0नं0 97, [illegible] रास्ता नवीन कायम करना आवश्यक हो। खं0नं0 100 के उत्तर दिशा में कुड़ियो का बास से रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

Rw
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

[illegible] प्रार्थीगण की आराजी में [illegible] पड़ता है प्रार्थीगण की [illegible] 100/1 से है। [illegible] जाने हेतु नजदीकी रास्ता वैकल्पिक तौर पर [illegible] प्रार्थीया आराजी खसरा नं. [illegible] 97 में भी [illegible] है तहसीलदार का [illegible] लेकर आती है एवं खसरा नं. 101 में उसके ससुर का खातेदारी में हिस्सा है ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में रास्ते का [illegible] मौजूद है अतः मार्ग ए की रास्ता की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण ने महज [illegible] को हैरान परेशान करने व उसकी खातेदारी की आराजी में से [illegible] रास्ता लेने, सड़क से मौके की स्थिति के विपरित तथ्य जाहिर कर यह आवेदन किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

[illegible] विधि के सुसंगत प्रावधानों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों [illegible] पर मनन किया गया। [illegible] का अवलोकन किया गया तथा [illegible] हस्तगत प्रा0पत्र में प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी खं0नं0 99 में जाने हेतु खं0नं0 98 में से रास्ता की मांग की है तहसीलदार कि0रेनवाल से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थीया के पास खं0नं0 99 में जाने हेतु खं0नं0 98 के अलावा कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता नहीं है, प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण ने तहसीलदार रिपोर्ट पर दो बार आपति प्रा0पत्र प्रस्तुत किए गए, उक्त आपति प्रा0पत्र सारहीन होने व साबित न होने के कारण न्यायालय द्वारा खारिज किए गए। अप्रार्थीगण दस्तावेजी व मौखिक आधार पर यह साबित करने में असफल रहे है कि प्रार्थीया को अपने खेत खं0नं0 99 में जाने हेतु कोई रिकोर्डेड वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें खं0नं0 99 तक जाने हेतु कोई रास्ता अंकित है। अप्रार्थीगण द्वारा जो अन्य रास्ता सुझाए गए है वो रास्तें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ता से लघुतम है, ऐसा साबित करने में अप्रार्थीगण असफल रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा खं0नं0 101 से जो रास्ता सुझाया जा रहा है जिसका कथन अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व आपति प्रा0पत्र में किया है उक्त रास्ता खं0नं0 99 में से प्रस्तावित रास्ता से लघुतम है, खं0नं0 101 के खातेदार उक्त रास्ता स्वीकृत हेतु सहमत है ऐसे किसी तथ्य को अप्रार्थीगण ने साबित नहीं किया है। खं0नं0 101 की भूमि प्रार्थीया के रिश्तेदारों से सम्बन्धित होना उस खसरें से रास्ता स्वीकृति का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीया का प्रा0पत्र मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर साबित है उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रा0पत्र प्रार्थीया साबित होने पर स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] आदेश

अतः प्रार्थना पत्र 251-क का स्वीकार [illegible] तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ते का अभाव है तथा मार्ग की आवश्यकता है। अतः तहसीलदार कि. रेनवाल को आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

7

किया जाता है कि खं0नं0 99 वाके ग्राम सुन्दरियावास प0ह0 कुड़ियो का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में आने जाने हेतु आराजी खं0नं0 98 में से पूर्वी सींव के साथ साथ दक्षिण से उत्तर 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर आराजी की वर्तमान डी0एल0सी0 दर से दुगुनी प्रतिकर राशि जमा कर उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कायम किया जावें। प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को नियमानुसार प्रदान करे। इस बाबत तहसीलदार कि. रेनवाल को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6-11-19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner